(311) (187) 6

II/निग0/सतना/2018/01868

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

श्यामसुन्दर कुशवाहा तनय श्री स्व0 विन्दा काछी उर्फ वृंदा कुशवाहा, उम्र 74 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम मरौहा, तह0 रामपुर बघेलान, जिला सतना म0प्र0

————————निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष सतना जिला सतना म0प्र0

————— गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री आर0 डी0 कुशवाहा द्वारा पेश 20-3-18

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के रा0प्र0क्र 411/अपील/13–14 पारित आदेश दिनांक 29.01.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

निगरानी के सक्षिप्त तथ्य :–

यह है कि भूमि खसरा कमांक 780 रकवा 0.38ए., 781 रकवा 0.77ए. 782 रकवा 0.94ए., स्थित ग्राम मरौहा, तह0 रामपुर बघेलान, जिला सतना म0प्र0 की आराजी में निगरानीकर्ता के पिता स्व0 वृदा वल्द रामभरोसा काछी पुस्तैनी तरीके से काबिज दाखिल थे। उक्त भूमि को न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिलाध्यक्ष सतना के प्रकरण कमांक 58/74/71–72 पारित आदेश दिनांक 30.12.74 के अनुसार निगरानीकर्ता के पिता स्व0 विन्दा काछी के नाम काबिज कास्त घोषित किया गया था तथा राजस्व अभिलेखों में काबिज कास्त अंकित किया गया था जिसी मुताबिक निगरानीकर्ता के पिता अपने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग०/सतना/2018/1868 जिला– सतना

श्यामसुन्दर कुशवाहा विरूद्ध शासन म०प्र०

(1)	(2)	(3)
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री आर. डी. कुशवाहा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 411/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29.01.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 20.03.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तंतपश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	